इतार प्रदेश राज्य औद्योगिक दिशास प्राधिकरण जनस्त भेत्रीय प्रवस्थक / परि

WEST A

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परि० अधिकाश, ड० प्र० रा० औ० वि० प्रा०,

ereconverse in the second

यूपीएसआई-डीसी काम्प्रेक्स, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर-208024 फोन नी0 0512-2582851-53(पीडीएक्स), फेक्स: 0512.2580797 वेबसाईट-199999, onlineupside.com ई मेल- feedback@upside.com

संदर्भ संव ५०६५ / यूपीसीडा/औ० क्षे०/G-1662705/-1/7/८.

दिनांक 26.9.19

जैसा कि आप अवगत हैं कि निरस्त भूखण्डों के पुर्नजीवीकरण हेतु प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 33वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय आदेश संव 3903—3909/यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम—17 दिनांक 03.09.2019 निर्गत किया गया है जिसमें समस्त भू—उपयोगों के वर्तमान में निरस्त समस्त भूखण्डों के पूर्व आवंटियों को एक समान अवसर प्रदान करते हुए पुर्नजीवीकरण हेतु नियमानुसार आवंदन स्वीकार करने की अन्तिम तिथि 31.12.2019 नियत की गई है।

अतः उक्त कार्यालय आदेश के परिप्रेक्ष्य तथा प्राधिकरण की स्टाफ भीटिंग दिनांक 17.09. 2019 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपको एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों में पुर्नजीवीकरण हेतु लिगत समस्त प्रकरणों का कार्यालय आदेश सं० 3903—3909/यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम—17 दिनांक 03.09.2019 के अनुसार परीक्षण करते हुए पूर्व आयंटी का अनुरोध एवं देयों पर सहमति प्राप्त करते हुए अपना सुरपष्ट प्रस्ताव संस्तुति सिहत मुख्यालय के निर्णयार्थ प्रेपित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द् मीहन सिंह) प्रवन्धक (सी० / प्र0)

Scanned with CamScanner